न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2016

अपीलांट

1. बाबू पुत्र छोगाजी उम्र 64 वर्ष जाति नाई निवासी कवराडा तहसील आहोर जिला जालोर।
2. भीमा पुत्र छोगाजी उम्र 61 वर्ष, जाति नाई निवासी कवराडा तहसील आहोर हाल ग्राम बसंत तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
3. कनीया उर्फ कन्हैयालाल पुत्र छोगाजी उम्र 52 वर्ष, जाति नाई निवासी कवराडा, तहसील आहोर हाल ब्लॉक नंबर 19/बी/27/,बापू नगर पिड भंजन श्यामजी भाई पटेल की चाली, अहमदाबाद (गुजरात)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मगीया उर्फ मांगीया पुत्र छोगाजी उम्र 66 वर्ष, जाति नाई निवासीगण कवराडा तहसील आहोर जिला जालोर।
2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री रणजीत कुमार भट, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स
श्री चैनाराम पटेल विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कवराडा, तहसील आहोर के खसरा नंबर 596 रकबा 2.45 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, खसरा नंबर 788 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म नहरी प्रथम कुल खसरान 2 रकबा 3.32 हैक्टेर के संबध में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने वाद में अपीलांटगण एवं स्वंय का 1/4–1/4 हक हिस्सा बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स विभाजन करना जाहिर किया एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शे मे तरमीम करने का उल्लेख किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण का उपरोक्त खातेदारी में अपने हक हिस्से तक खसरा नंबर के बटा नंबर नहीं देकर व नक्शे में उसी अनुसार तरमीम नहीं करने के आदेश नहीं कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का अपने हक–हिस्से तक अलग बटा नंबर देकर असी अनुसार नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को कैम्प कोर्ट करवाडा के संबध में नोटिस जारी किये गये। जो कि विधिवत तामिल नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट बिना मौका देखे कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कवराडा, तहसील आहोर के खसरा नंबर 596 रकबा 2.45 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, खसरा नंबर 788 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म नहरी प्रथम कुल खसरान 2 रकबा 3.32 हैक्टेर के संबध में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 से 03 ने स्वंय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में आपसी सहमति से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया। जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2015 को तहसीलदार आहोर से वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कवराडा, तहसील आहोर के खसरा नंबर 596 रकबा 2.45 हैक्टर किस्म सेवज दोयम, खसरा नंबर 788 रकबा 0.87 हैक्टेर किस्म नहरी प्रथम कुल खसरान 2 रकबा 3.32 हैक्टेर के संबध में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 01 लगायत 03 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा होने का कथन करते हुए तहसीलदार आहोर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर अंतिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2015 को तहसीलदार आहोर को उक्त प्रार्थना पत्र की छाया प्रति भेजी जाकर वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। उसके पश्चात तहसीलदार आहोर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.06.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाटगण द्वारा स्वंय ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2014 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में अंतिम डिक्री जारी करने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार आहोर से वादग्रस्त आराजी के संबध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जेर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 कायथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली